अनापत्ति प्रमाण–पत्र

पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत , परगना मजिस्ट्रेट,बीसलपुर , उपनिदेशक, फायर सर्विस, बरेली/मुरादाबाद परिक्षेत्र, बरेली, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1 ,लो0नि0विभाग, पीलीभीत, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, पीलीभीत एवं प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी, पीलीभीत से प्राप्त अनापत्ति/संस्तुतियों के आधार पर टैरीटरी मैनेजर (आर) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली को ग्राम मानपुर बीसलपुर, बीसलपुर–बिलसण्डा रोड MDR-62Pa तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत स्थित आराजी संख्या 3/1 पर संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित स्थल पर निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है ।

शर्ते

1– प्रश्नगत निर्माणधीन भवन की दूरी राजमार्ग के मध्य से 110 फिट रखना अनिवार्य होगा।

2– सम्पर्क मार्ग एंव गलियों से निर्माणधीन रिटेल आउटलेट /पेट्रोल पम्प के भवन की दूरी मार्ग के मध्य से 10 मीटर रखना अनिवार्य होगा।

3– निर्माणाधीन रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के भवन की चौड़ाई रास्ते या सड़क की ओर स्थित हो तो निर्माणाधीन भवन के सम्पूर्ण भाग में कम से कम 4 फिट जगह छोड़ना अनिवार्य होगा ।

4– निर्माणाधीन रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के भवन का निर्माण कराते समय निर्माणकर्ता को शौचगृह एवं स्वास्थ्य सेवाएं रखनी होगीं । शौचग्रह खुले हुए नही होगें व साफ–सफाई की पूर्ण व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा।

5– निर्माणाधीन रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के भवन की कुर्सी फर्श से नाली व सड़क की तरफ से एक फिट ऊँची रखनी आवश्यक होगी ।

6– सुरक्षा की दृष्टि से रेत के बारे रखने आवश्यक होगें तथा अग्निशमन यंत्र रखना अनिवार्य होगा।

7– प्रस्तावित निर्माण स्थल पर मार्ग के मध्य बिन्दु से 33.53 मीटर की दूरी पर अस्थायी निर्माण हेतु एवं मार्ग के मध्यबिन्दु से दोनों तरफ 220.00 फीट की दूरी तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाये अन्यथा मानचित्र पर की गयी संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। मुख्य अभियन्ता (मु0–2) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सामान्य वर्ग लो0नि0वि0लखनऊ के समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

मानचित्र में अंकित मापों एवं विशिष्टियों के अनुरुप ही निर्माण कार्य सम्पादित कराया जाये।

9– प्रस्तावित निर्माण स्थल पर आने जाने के लिए पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण प्रस्तावक को अपने खर्च पर करना होगा , जिसकी अनुमति अलग से अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1 लो0नि0वि0, पीलीभीत से प्राप्त करनी होगी।

भूस्वामित्व में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट की स्थापनाहेतु की जा रही संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

11– फिलिंग स्टेशन की स्थापना के फलस्वरुप जनसुरक्षा एवं यातायात का किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए अन्यथा मानचित्र में की जा रही संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी ।

12– प्रश्नगत मार्ग के स्टेटस में परिवर्तन के फलस्वरुप जनसुविधाओं की वृद्धि हेतु लोक निर्माण विभाग को यदि भूमि को अधिग्रहण की आवश्यकता पड़ेगी , उस स्थिति में आवेदक को पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगी।

13– अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की टिप्पणी मानचित्र पर भी अंकित कर दी गयी है।

14– लो0नि0वि0, बाउण्ड्री एवं नाली के बीच कोई गैप नहीं होगा चाहिए। इस आशय की टिप्पणी मानचित्र पर भी अंकित कर दी गयी है।

15– मार्ग के मध्य बिन्दु से दोनो तरफ 220.00 फीट की दूरी तक कोई भी स्थायी निर्माण न कराया जाये।

16– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट बीसलपुर–बिलसण्डा किमी0 3.807 से 3.8?2 के मध्य बायीं पटरी पर स्थित आराजी संख्या 3/1 ग्राम– मानपुर तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत में स्थापित किया जाना है। उक्त मार्ग की पटरियाँ संरक्षित वन के अन्तर्गत विज्ञापित है। इस संरक्षित वन क्षेत्र में कुल 366.62 वर्ग मी0 भूमि का गैर वानिकी उपयोग प्रस्तावित है, जिसमें 05 वृक्ष प्रभावित होगें । वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के तहत 1.00 हे0 से कम संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की स्वीकृति एवं उत्तर प्रदेश सरकार (वन विभाग) की शर्तो का पालन करना आवश्यक होगा ।

पेज 2 पर......

Photo Copy Attested

अपर सांख्यिकीय अधिकारी
सामाजिक वानिकी प्रभाग
पीलीभीत

(30) (36)

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत , परगना मजिस्ट्रेट,बीसलपुर , उपनिदेशक, फायर सर्विस, बरेली/मुरादाबाद परिक्षेत्र, बरेली, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1 ,लो0नि0विभाग, पीलीभीत, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, पीलीभीत एवं प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी, पीलीभीत से प्राप्त अनापत्ति/संस्तुतियों के आधार पर टैरीटरी मैनेजर (आर) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली को ग्राम मानपुर बीसलपुर, बीसलपुर–बिलसण्डा रोड MDR-62Pa तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत स्थित आराजी संख्या 3/1 पर संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित स्थल पर निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है ।

शर्ते

1– प्रश्नगत निर्माणधीन भवन की दूरी राजमार्ग के मध्य से 110 फिट रखना अनिवार्य होगा।

2– सम्पर्क मार्ग एंव गलियों से निर्माणधीन रिटेल आउटलेट /पेट्रोल पम्प के भवन की दूरी मार्ग के मध्य से 10 मीटर रखना अनिवार्य होगा।

3– निर्माणाधीन रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के भवन की चौड़ाई रास्ते या सड़क की ओर स्थित हो तो निर्माणाधीन भवन के सम्पूर्ण भाग में कम से कम 4 फिट जगह छोड़ना अनिवार्य होगा ।

4– निर्माणाधीन रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के भवन का निर्माण कराते समय निर्माणकर्ता को शौचगृह एवं स्वास्थ्य सेवाएं रखनी होगीं । शौचग्रह खुले हुए नही होगें व साफ–सफाई की पूर्ण व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा।

5– निर्माणाधीन रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के भवन की कुर्सी पास में नाली व सड़क की तरफ से एक फिट ऊँची रखनी आवश्यक होगी ।

6– सुरक्षा की दृष्टि से रेत के बारे रखने आवश्यक होगें तथा अग्निशमन यंत्र रखना अनिवार्य होगा।

7– प्रस्तावित निर्माण स्थल पर मार्ग के मध्य बिन्दु से 33.53 मीटर की दूरी पर अस्थायी निर्माण हेतु एवं मार्ग के मध्यबिन्दु से दोनों तरफ 220.00 फीट की दूरी तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाये अन्यथा मानचित्र पर की गयी संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। मुख्य अभियन्ता (मु0–2) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सामान्य वर्ग लो0नि0वि0लखनऊ के समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

8– मानचित्र में अंकित मापों एवं विशिष्टियों के अनुरुप ही निर्माण कार्य सम्पादित कराया जाये।

9– प्रस्तावित निर्माण स्थल पर आने जाने के लिए पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण प्रस्तावक को अपने खर्च पर करना होगा , जिसकी अनुमति अलग से अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1 लो0नि0वि0, पीलीभीत से प्राप्त करनी होगी।

10– भूस्वामित्व में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट की स्थापनाहेतु की जा रही संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

11– फिलिंग स्टेशन की स्थापना के फलस्वरुप जनसुरक्षा एवं यातायात का किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए अन्यथा मानचित्र में की जा रही संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी ।

12– प्रश्नगत मार्ग के स्टेटस में परिवर्तन के फलस्वरुप जनसुविधाओं की वृद्धि हेतु लोक निर्माण विभाग को यदि भूमि को अधिग्रहण की आवश्यकता पड़ेगी , उस स्थिति में आवेदक को पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगी।

13– अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की टिप्पणी मानचित्र पर भी अंकित कर दी गयी है।

14– लो0नि0वि0, बाउण्ड्री एवं नाली के बीच कोई गैप नहीं होगा चाहिए। इस आशय की टिप्पणी मानचित्र पर भी अंकित कर दी गयी है।

15– मार्ग के मध्य बिन्दु से दोनो तरफ 220.00 फीट की दूरी तक कोई भी स्थायी निर्माण न कराया जाये।

16– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट बीसलपुर–बिलसण्डा किमी0 3.807 से 3.842 के मध्य बायीं पटरी पर स्थित आराजी संख्या 3/1 ग्राम– मानपुर, तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत में स्थापित किया जाना है। उक्त मार्ग की पटरियाँ संरक्षित वन के अन्तर्गत विज्ञापित है। इस संरक्षित वन क्षेत्र में कुल 366.62 वर्ग मी0 भूमि का गैर वानिकी उपयोग प्रस्तावित है, जिसमें 05 वृक्ष प्रभावित होगें । वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के तहत 1.00 हे0 से कम संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की स्वीकृति एवं उत्तर प्रदेश सरकार (वन विभाग) की शर्तो का पालन करना आवश्यक होगा ।

Photo Copy Attested

अपर साँख्यिकीय अधिकारी
सामाजिक वानिकी प्रभाग
पीलीभीत

Office of The District Magistrate

पेज 2 पर......